


निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 130 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी को डी0एल0 कोर्स के नामांकन में 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विभागीय आदेश के आलोक में देय होगा। जो अभ्यर्थी इस कोटि के अन्तर्गत आते है और डी0एल0एड0 सत्र 2020-22 ने नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन किये है वे इस कोटि के अन्तर्गत होने की सूचना सस्थान को 01.02.2021 तक देना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि में सूचना नहीं देने पर यह माना जाएगा कि इस सस्थान में इस कोटि का कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं दिया है।


29/01/2021
प्रभारी प्राचार्य
डाइट, शिवहर।
29/1/21